

Form-III
फर्द अहकाम

जज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी गढी जिला बॉसवाडा


श्री ईश्वर पिता श्री नाथुलाल जाति ब्राह्मण निवासी भगोरा बनाम श्री रमेशचन्द्र पिता पुरुषोत्तम ब्राह्मण वगोराह निवासी भगोरा

कलम मुकदमा :- 53,209 राज0काशतकारी अधि0

प्रकरण संख्या: 19/2015

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय ईनिशियल जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामीर में जारी हुए।</p>
--------------------	---	--

पत्रावली बाद जाँच दर्ज रजिस्टर होकर पैश हुई। श्री ईश्वर पिता श्री नाथुलाल जाति ब्राह्मण निवासी भगोरा ने अन्तर्गत धारा 53,209 राज0काशतकारी अधि0 के तहत प्रतिवादीगण श्री रमेशचन्द्र पिता पुरुषोत्तम ब्राह्मण वगोराह निवासी भगोरा तहसील गढी के विरुद्ध वाद-पत्र प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगणों के नाम सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 21/4/2015 को पेश हों।


उपखण्ड अधिकारी
गढी

14/5


पत्रावली पेश हुई कि वकील उपस्थित प्रतिवादी न 2 सी 513 के पास श्री रमेशचन्द्र वकील ने वकील पर पैश जो 4 लाख हुए 2 लाख का दो पत्रावली वकील 4 लाख दावा हुए दिनांक 3/6/2015 को पेश है।

25/5

पत्रावली उपरक छोड़ 3 दिनों के समय तक पत्रावली प्रस्तुत पर दि 12/6/15 को पेश है कि पत्रावली की शर्तें पूरी हैं।

6/5

पत्रावली पेश हुई। राजस्व लोक अदालत कमिश्नर भगोरा पर पक्षकारण/ प्रातिकारण हाजिर किये। बयान विचारित होना बताकर सम्मोतानामा पेश नहीं किया। सम्मति न होने के कारण कार्यवाही न हो सके। वास्तव जवाब दाना पत्रावली दिनांक 21/4/15 को पेश है।

Memo 78
(पक्षकारण)

(प्रातिकारण)
सम्मति =

जज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी गढी जिला बॉसवाडा

मेरु
गावली
17

14-5-18

पत्रावली राजस्व लोक भद्रालय भवित्त
के दोराय चेरु डूई पत्रावली का भवलोका
किया गया प्रकरण के पदकादक का भाषणी
सहभागी से भूमि विभागाड डोकड जाडके
नामादादकरण संख्या 443 दिनांक 21.4.15
करा पृथक-पृथक हिमा दण्ड किया
जाकर राजस्व भविलेख की नकल
उत्तर डूई डी प्रतः वक्त प्रकरण के
कार्रवाई इसी स्टेज पर डीप की
जाकर पत्रावली केसल शुमाद कर
दाखिल दफ्तार की जाती है

10
कापी

पुल्लार
सा
शुद्ध

करीफत

गाले
जा डीप

प्राधिक
वार्ड
शुद्ध

सा.प.०.
तफियार